**UPAU120006372023**

## न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), बिधूना, औरैया।

**उपस्थित : कुशाग्र मिश्रा (उ0प्र0 न्यायिक सेवा) J.O. Code : UP4693**

## सिविल वाद संख्या–122/2023

**सुनील कुमार बनाम रूबीना बेगम आदि।**

**दिनांक–09.07.2025**

1. पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। पत्रावली प्रार्थना पत्र 6ग के निस्तारण हेतु नियत है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र कागज संख्या 6ग पर पूर्व में सुना जा चुका है।

**निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या–6ग**

2. प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या–6ग मय शपथपत्र 7ग इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि, अस्थायी निषेधाज्ञा वहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावे, कि प्रतिवादीगण ताफैसला मुकदमा हाजा विवादित प्लाट कि जिसको नक्शा नजरी वादपत्र में अक्षर अ,ब,स,द से मय चौहद्दी प्रदर्शित किया गया है, स्थित ग्राम अबावर, परगना बिधूना जिला औरैया के किसी भी भाग से वादी को बेदखल करके कब्जा नाजायज करके या बगैर बटवारा कराये वादी की मिल्यिकियत मुकाब्जत कब्जा दखल में हस्तक्षेप न करें न करावे।

3. प्रार्थना पत्र कागज सं0–6ग के कथन इस प्रकार हैं कि वादी ने वाद वास्ते बैनामा मंसूखी व स्थायी निषेधाज्ञा दायर अदालत किया है, जिसमें वादी को पूर्ण सफलता की आशा है। वादी दीगर जायजाद के अलावा दो किता प्लाट स्थित ग्राम अबाबर, परगना बिधूना जिला औरैया का मालिक काबिज दखील चला आता है। विवादित प्लाट वचादी का पैत्रिक प्लाट है। वादी उसका उपयोग उपभोग करके लाभान्वित होता चला आ रहा है, और लाभान्वित होने का अधिकारी है, जिसको नक्शा नजरी वादपत्र में अक्षर अ,ब,स,द से मय चौहद्दी प्रदर्शित किया गया है, जो एक वादपत्र का भाग है। वादी तीन भाई हैं, विवादित सम्पत्ति में वादी 1/3 भाग का मालिक काबिज दखील है, तथा प्रतिवादी सं0–3 भी 1/3 भाग का मालिक है, लेकिन प्रतिवादी सं0–3 बगैर बटवारा कराये 2/3 भाग विक्रय कर दिया, वादी को अफवाहन पता चला, तब वादी ने तहसील आकर मुआयना कराया तब पता चला कि प्रतिवादी सं0–3 ने प्रतिवादीगण को प्लाट का बैनामा कर दिया है। इस प्रकार से बैनामा दिनांकित 23.07.2022 व बैनामा दिनांकित 28.07.2022 द्वारा अमित कुमार वहक प्रतिवादी सं0–1 व 2 को तहरीर होना प्रदर्शित किया गया है। लिहाजा बैनामानात एक शून्य प्रलेख है, और कथित बैनामा के आधार पर अपने को प्रतिवादीगण मालिक कहते हुये वादी की मिलकियत मुकावजत वाली सम्पत्ति पर हस्तक्षेप व अधिकार जाहिर करेंगे, फलस्वरूप कथित बैनामानात कतई जाली फर्जी शून्य दस्तावेज है।

4. प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति कागज सं0–18ग मय शपथपत्र 19ग से प्रस्तुत की गयी है। शपथपत्र 19ग का कथन इस प्रकार है कि विवादित सम्पत्ति की असल मालिक वचादी व प्रतिवादी सं0–3 की माता श्रीमती शांती देवी पत्नी स्व0 तारा चंद्र थीं। शांती देवी ने अपनी मृत्यु से पूर्व दिनांक 11.02.2015 को अपनी समस्त सम्पत्ति की रजिस्टर्ड वसीयत प्रतिवादी सं0–3 अमित कुमार के नाम पर कर

दी थी। वसीयत के आधार पर प्रतिवादी अमित कुमार का नाम सरकारी राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया और प्रतिवादी अमित कुमार वसीयत के आधार पर मालिक काबिज हुआ और चला आया। प्रतिवादी सं0–3 अमित कुमार द्वारा मालिक काबिज होने के बाद वहैसियत मालिक काबिज प्रतिवादी सं0–1 व 2 के हक में विवादित सम्पत्ति के पूर्वी व पश्चिमी सिरे पर बैनामा निष्पादित किये गये और मौके पर अपने समान सभी अधिकार प्रतिवादी सं0–1 व 2 प्रदान करा दिये। नन्की ने बैनामा के आधार पर अपने प्लाट के चारो तरफ ऊची बाउंड्रीबॉल बनाकर एक गेट लगा दिया और बैनामा दिनांक से मालिक काबिज चले आते हैं। रूबीना ने प्लाट क्रय करने के बाद उसमें एक कमरा व एक बरामदा का निर्माण कराया गया जो सरकारी कालौनी राज्य सरकार द्वारा ही गयी थी उसका निर्माण कराया एवं शेष जगह आगे खाली पड़ी है। और उसका उपयोग व उपभोग अपनी सुख सुविधानुसार बरावर करती चली आती है। एवं दोनों विक्रीत प्लाटों के बीच में शेष खाली जगह प्रतिवादीगण सं0–3 अमित कुमार की पड़ी है। जिस पर नॉदे रखी व खूँटा गड़े हैं कि जिस पर अमित कुमार उपयोग व उपभोग वहैसियत मालिक काबिज करते चले आते हैं। विवादित जगह से वादी व अन्य किसी व्यक्ति को कोई मतलव वास्ता व सरोकार किसी किस्म का नहीं है और न ही रहा है।

5. वादी द्वारा सूची कागज सं0–31ग से प्रश्नगत बैनामें दिनांकित 23.07.2022 व 28.07.2022 की सत्यापित प्रतिलिपि कागज सं0–32ग/2 लगायत 32ग/18 तथा सूची कागज सं0–28ग से एक किता नकल निर्णय दिनांकित 20.07.1994 की सत्यापित प्रतिलिपि तथा एक किता नकल निर्णय दिनांकित 29.08.2023 (राजस्व परिषद लखनऊ द्वारा पारित) प्रस्तुत किये गये हैं।

6. उक्त प्रकरण में स्थल निरीक्षण आख्या अमीन अदालत मय नक्शा नजरी कागज सं0–34ग/1 ता 34ग/2 दाखिल है।

7. अस्स्थायी निषेधाज्ञा आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रक्रिया संहित 1908 से नियमित होती है। अस्थाई व्यादेश का अनुतोष पाने हेतु वादिनी को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित विधि व्यवस्था **Gujrat Bottling Co. Ltd.V. Coca Cola Company 1995(5) SCC 545** में दिये गये प्रतिस्थापित सिद्धांतों के प्रकाश में निम्नलिखित तथ्यों को साबित करने का भार है।

1– प्रथम दृष्टया केस का होना।

2– सुविधा का संतुलन होना।

3– वादी को अपूर्णनीय क्षति का होना।

**<u>प्रथम दृष्टया केस का होना :–</u>**

8. प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी/वादी के पक्ष में होना अस्थायी निषेधाज्ञा का एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Dalpat kumar Vs Prahlad singh (1) SCC 719** में प्रतिपादित किया है कि प्रथम दृष्टया केस का प्रथम दृष्टया अधिकार/शीर्षक से दुर्बोध नहीं करना चाहिए। अपितु प्रथम दृष्टया केस का मतलब प्रार्थी के हक में किसी भी विचारणीय अधिकार का होना है, जिसका निश्चियन साक्ष्य संकलन के पश्चात किया जा सकेगा। उक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी द्वारा विवादित सम्पत्ति को अपना पैतृक प्लाट बताया है। तथा वादी द्वारा इस बात पर बल दिया गया है कि वादी तथा प्रतिवादी सं0–3 क्रमशः 1/3 भाग के मालिक हैं, विवादित सम्पत्ति में। वादी द्वारा मौखिक बहस के दौरान यह भी कथन किया गया कि वादी का एक अन्य भाई भी विवादित सम्पत्ति में 1/3 भाग का मालिक है। वादी ने विवादित स्थल में अपने पैतृक अधिकार को बताते हुये इस बात पर बल दिया गया कि जो वसीयत प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी है, वह प्रार्थी की मॉ शान्ती देवी द्वारा प्रतिवादी सं0–3 के हक में निष्पादित की गई थी, परन्तु शान्ती देवी को उक्त वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था।

प्रार्थी/वादी द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि न्यायालय द्वितीय अपर मुंसिफ इटावा द्वारा निर्णय दिनांकित 20.07.1994 (कागज सं0–29ग) के माध्यम से यह निर्णय किया गया कि सरमन देवी (जो कि शान्ती देवी की सास है) ने जो बैनामा भूमि सं0–400 रकवा 1.59 व भूमि सं0–918 रकवा .04 का किया था वह निरस्त होने योग्य है, व इसकी सूचना निबन्धक बिधूना को भी भेज दी गयी थी। प्रार्थी/वादी के मुताबिक जब शान्ती देवी को सम्पत्ति हस्तान्तरण हेतु किया गया बैनामा ही निरस्त कर दिया गया है, तब वह किसी भी प्रकार से भूमि सं0–400 व 918 को जरिये वसीयत किसी भी व्यक्ति को प्रदान नहीं कर सकती। प्रार्थी/वादी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि प्रतिवादी सं0–3 ने प्रतिवादी सं0–1 व 2 को उक्त भूमि संख्या 400 व 918 का ही बैनामा के जरिये हस्तान्तरण किया है। वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में विवादित जगह को अक्षर अ,ब,स,द से दर्शित किया गया है, परन्तु नक्शा नजरी में उक्त विवादित सम्पत्ति की दिशावर चौहद्दी नहीं दर्शायी गयी है। न ही विवादित सम्पत्ति की भुजाओं का कोई माप बताया गया है। वादपत्र में भी उक्त चौहद्दी की दिशा, माप का कोई वर्णन नहीं है। ऐसी स्थिति में यह दर्शित नहीं हो रहा है कि विवादित सम्पत्ति की कौन सी भुजा किस दिशा में है तथा किस भुजा के उपरान्त किस दिशा में क्या स्थित है। प्रार्थी/वादी द्वारा न तो अपने वादपत्र में न ही प्रार्थना पत्र 6ग व शपथपत्र 7ग में यह यह वर्णन किया गया कि प्रश्नगत बैनामें किस भूमि से सम्बन्धित हैं। प्रार्थी/वादी द्वारा दाखिल प्रश्नगत बैनामों में भी भूमि संख्या का वर्णन नहीं है। प्रश्नगत बैनामा दिनांकित 23.07.2022 में चौहद्दी इस प्रकार है कि पूरव की भुजा 36 फीट प्लाट विनीत कुमार, पश्चिम की भुजा 36 फीट मकान भूरे आदि, उत्तर की भुजा 32 फीट आम रास्ता 12 फीट चौड़ा (8 मीटर से कम), दक्षिण की भुजा 32 फीट मकान मुकेश पाण्डेय तथा प्रश्नगत बैनामा दिनांकित 28.07.2022 की चौहद्दी इस प्रकार है कि पूरव की भुजा 17.5 फीट स्वयं क्रेती, पश्चिम की भुजा 17.5 फीट प्लाट विनीता तिवारी, उत्तर की भुजा 28 फीट रास्ता 12 फीट चौड़ा (8 मीटर से कम), दक्षिण की भुजा 28 फीट मकान मुकेश पाण्डेय तथा वादपत्र से संलग्न नक्शा नजरी में भुजा अ,ब से संलग्न रास्ता, भुजा ब,द से संलग्न मकान हमीद खॉ, भुजा स,द से संलग्न प्लाट मुकेश पाण्डेय व भुजा अ,स से संलग्न मकान पप्पू दर्शित है। अमीन आख्या से संलग्न नक्शा नजरी कागज सं0–34ग/2 में विवादित स्थल को अक्षर अ,ब,स,द से दर्शित किया गया है, जिसके उत्तर में सड़क पुख्ता डामर, पश्चिम में सड़क पुख्ता डामर, पूरव में मकान निजाम खॉ व दक्षिण में मकान मुकेश पाण्डेय दर्शित है। प्रथमतः वादी द्वारा विवादित सम्पत्ति का स्पष्ट विवरण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। तथा वादपत्र से संलग्न नक्शा नजरी व अमीन आख्या से संलग्न नक्शा नजरी कागज सं0–34ग/2 में विवादित सम्पत्ति की चौहद्दी में भिन्नता है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस प्रकार से विवादित स्थल विरासत में प्राप्त हुआ। किस की मृत्यु के उपरान्त विरासत में प्राप्त हुआ एवं विवादित स्थल मूलतः किस गाटा संख्या में स्थित था यह भी अभिकथित नहीं किया गया है। यहॉ यह भी अभिकथित नहीं है कि मूलतः विवादित स्थल का मालिक कौन था। उक्त विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट रूप से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि प्रार्थी/वादी का प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Mandali Ranganna and Ors V. Ramachandra and Ors 2008 INSC 560** में उल्लेख किया गया है कि अगर वादी अपने आचरण के द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य कारता है, जिससे उसकी सदाशयी होने पर सन्देह हो तो ऐसी स्थिति में उसके हक में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। क्योंकि विवादित स्थल की चौहद्दी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि प्रार्थी/वादी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः उसके सदाशयी होना संदेह के

घेरे में है एवं यह नहीं कहा जा सकता कि वह न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से आया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/वादी का प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं होता।

**2. सुविधा का संतुलन होनाः–**

9. सुविधा के संतुलन का अर्थ होता है कि अगर अस्थायी निषेधाज्ञा वादी के हक में जारी नहीं की गई तो वादी को होने वाला नुकसान उस नुकसान से ज्यादा होगा जो कि प्रतिवादीगण/विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किये जाने की स्थिति में कारित होगा। चूंकि वाद सम्पत्ति की चौहद्दी ही स्पष्ट नहीं है तो ऐसे में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि एक मालिक व काबिज व्यक्ति को अपनी ही सम्पत्ति का विवरण न ज्ञात हो, तो ऐसे में यह प्रथम दृष्टया दर्शित नहीं है कि प्रार्थी/वादी का विवादित स्थल में कोई दखल है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुॅचता कि अगर अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रार्थी/वादी को न दिया गया तो ऐसी स्थिति में उसे होने वाला नुकसान, अस्थायी निषेधाज्ञा की अनुतोष को दिये जाने की स्थिति में विपक्षीगण को होने वाले नुकसान, से ज्यादा होगा। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी/वादी के पक्ष में नहीं है।

**3. वादी को अपूर्णनीय क्षति का होनाः–**

10. अपूर्णनीय क्षति का मतलब है कि अस्थायी निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी/वादी को जो क्षति होगी, उसकी हर्जे से भरपाई नहीं की जा सकेगी। चूंकि उपरोक्त तथ्य में वादिनी का विशिष्ट एवं एकाकी कब्जा दखल वाद सम्पत्ति में प्रथम दृष्टया साबित नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे अपूर्णनीय क्षति होने की कोई सम्भावना नहीं है।

11. अतः प्रार्थना पत्र कागज सं0–6ग को स्वीकार करने का आधार पर्याप्त नहीं है।

## आदेश

प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र कागज सं0–6ग निरस्त किया जाता है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र 6ग व आपत्ति 18ग निस्तारित किये जाते हैं।

पत्रावली वास्ते तनकीह विरचन हेतु दिनांक 19.08.2025 को पेश हो।

**दिनांकः–09.07.2025**

**(कुशाग्र मिश्रा)**
**सिविल जज (जू0डि0),**
**बिधूना, औरैया**
**J.O. Code : UP4693**